भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001
दूरभाष संख्या - 23052044

सं. 187/3/2016/से.एवंअनु./पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./प्रशा./2016 दिनांक : 09.09.2016.

निविदा सूचना

निर्वाचन सदन परिसर में गमले के पौधे, कट फलावर्स की आपूर्ति कराने, उद्यानिकी के रख रखाव कार्य, 03 वाटर बाउल (हुर्लि) में पानी एवं फूल (पंखुडी) भरने के लिए वार्षिक संविदा हेतु मुहरबन्द निविदा द्विबोली प्रणाली अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के अंतर्गत आमंत्रित की गई है। इच्छुक एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे दो मुहरबंद लिफाफों जिन पर "भारत निर्वाचन आयोग में उद्यानिकी मदों एवं रख-रखाव कार्य हेतु तकनीकी बोली" और "भारत निर्वाचन आयोग में उद्यानिकी मदों एवं रख-रखाव कार्य हेतु वित्तीय बोली" लिखा होना चाहिए। इन दोनों मुहरबंद लिफाफों को तीसरे मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर **"भारत निर्वाचन आयोग परिसर में गमले के पौधे, कट फलावर्स की आपूर्ति करने, उद्यानिकी के रख-रखाव कार्य, 03 वाटर बाउल (हुर्लि) में पानी भरने एवं फूल (पंखुडी) भरने हेतु निविदा बोली"** लिखा होना चाहिए।

2. इच्छुक डीलर/फर्में अन्य अपेक्षित दस्तावेजों सहित सभी तरह से पूर्ण संविदा दस्तावेज दिनांक **30 सितम्बर**, 2016 **को अपराह्न 3:00 बजे तक** अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110 001** के पास जमा करा सकते हैं। मुहरबंद निविदाएं निर्वाचन सदन के भूतल पर स्थित प्राप्ति एवं प्रेषण (आर & आई) अनुभाग में भी जमा कराई जा सकती हैं। निविदा को जमा कराने की निर्धारित तारीख और समय के पश्चात देरी से/विलम्ब से प्राप्त की गई निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग डाक संबंधी देरी/विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे पहली ही बार में तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4. निविदा फार्म में सभी प्रविष्टियां पढ़ने योग्य होनी चाहिएं तथा सुस्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिएं। यदि सूचना उपलब्ध कराने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं हो, तो एक पृथक पत्रक, जिस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों, संलग्न किया जा सकता है। वाणिज्यिक बोली फार्म में कोई भी उपरिलेखन (ओवरराइटिंग) या काट-छांट की अनुमति नहीं हैं। ऐसे मामलों में निविदा सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी। हालांकि, तकनीकी बोली आवेदन में कोई काट-छांट, यदि कोई हो, तो उस पर निविदा बोलियों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अवश्य रूप से आद्यक्षर किए जाने चाहिएं।

5. तकनीकी बोलियों को निर्धारित तारीख और समय अर्थात **30 सितम्बर**, 2016 **को अपराह्न 04:00 बजे** निविदाकारों के प्रतिनिधियों, यदि कोई हैं, जो उस समय उस स्थल पर उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई समिति द्वारा **कमरा संख्या 209 – ई (दूसरा तल),** निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में खोला जाएगा।

6. केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां नियमानुसार सही पायी जाएंगी। वित्तीय बोलियां खोलने की तारीख के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा। वे निविदाकार जो उस समय उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त समिति द्वारा वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी।

7. निविदाकर या तो सीधे या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निविदा, निविदाकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो निविदा, निविदाकार से विधिक पावर ऑफ अटॉर्नी के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत की जाएगी।

8. निविदा का कोई मूल्य नहीं है। निविदा दस्तावेज अहस्तांतरणीय है।

9. अधोहस्ताक्षरी निविदा स्वीकार करने वाले अधिकारी होंगे और इसमें इसके पश्चात इस संविदा के प्रयोजनार्थ इसी रूप में संदर्भित किए जाएंगे।

10. निविदाकार तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे:-

क) पैन की प्रति

ख) विगत तीन वर्ष के आयकर विवरणियों की प्रतियां

ग) टिन नम्बर की प्रति

घ) **रू. 20,000/- मूल्य का एक एकल वर्क आर्डर प्रस्तुत किया जाना है।**

ड.) जो निविदाकार ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, वाणिज्यिक बोली के लिए निरर्हित हो जाएंगे।

11. भारत निर्वाचन आयोग बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में किसी या सभी निविदा/निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12. कोई विवाद होने की स्थिति में, भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

13. सफल बोलीदाता रू. 40,000/- (रू. चालीस हजार केवल) बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करेगा। बैंक गारंटी "अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग" के पक्ष में आहरित और दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में अवश्य होनी चाहिए। बैंक गारंटी 12 महीने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के पास रहेगी तथा संविदाकार/वेंडर की तरफ से चूक होने पर जब्त किए जाने की भागी होगी।

14. विस्तृत विवरण तथा नियम एवं शर्तें या तो अनुभाग अधिकारी, सेवाएं एवं अनुरक्षण अनुभाग, भारत निर्वाचन आयोग, कमरा सं. 209 – (ई)(द्वितीय दल), निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 से प्राप्त किए जा सकते हैं या आयोग की वेबसाइट अर्थात् http://eci.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

15. उद्धृत दरें सभी औजारों और पौधों तथा उस सब कुछ को कवर करेंगी जो आयोग की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप कार्य के उचित निष्पादन के लिए जरूरी हो और सामग्री/श्रमिकों की लागत में बढ़ोतरी होने के कारण हुई कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं की जाएगी।

16. प्रत्येक महीने के दौरान निर्वाचन सदन में रखे गए गमले के पौधों के प्रत्येक प्रकार की संख्या के आधार पर गमले के पौधों के प्रत्येक प्रकार जो ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार आयोग के लिए स्वीकार्य पाए जाते हैं, के लिए मासिक किराए के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

17. संविदा की अवधि एक वर्ष होगी जिसे फर्म के संतोषप्रद कार्य निष्पादन के अध्यधीन एक और वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

18. भारत निर्वाचन आयोग संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए संविदा को एकतरफा रद्द/खत्म करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(बी॰सी॰पात्रा)
अवर सचिव

<u>अनुबंध-I</u>

<u>नियम एवं शर्तें</u>

(I) <u>गमले के पौधों के लिए:</u>

(i) लोकेशन/साइट पर विभिन्न किस्मों के गमले के पौधों की आपूर्ति की जाएगी।

(ii) बोलीदाता के पास इस प्रयोजन के लिए अच्छी सुविधाओं से युक्त नर्सरी होनी चाहिए और बोली के साथ उसका पता एवं अन्य ब्योरे उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(iii) बोलीदाता को अच्छी क्वालिटी के और नए पेंट किए गए गमलों में अच्छी हालत के पौधों की आपूर्ति करनी चाहिए। आपूरित पौधे नए, स्वच्छ और रोगमुक्त और ऐसी साइज और लंबाई के होने चाहिए जैसाकि आयोग द्वारा अपेक्षित हो और ये पौधे बाजार के मानकों के अनुसार उपयुक्त होने चाहिए।

(iv) पौधों को नर्सरी से निर्वाचन सदन लाने के पारवहन प्रभार का वहन बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

(v) पौधों को पानी देने और खाद डालने का कार्य भी बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

(vi) बोलीदाता द्वारा पौधों को पानी देने और उन्हें साफ रखने के प्रयोजन से बागवानी जानने वाले नियमित मजदूर की तैनाती की जाएगी और इसके खर्च का वहन उसके द्वारा किया जाएगा।

(vii) क्षतिग्रस्त एवं खराब पौधों को हटाया जाना होगा और स्वच्छ पौधों की तुरंत आपूर्ति करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर क्षतिग्रस्त/खराब पौधों की कीमत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(viii) बोलीदाता पौधों के संरक्षण यथा गमले के पौधों की नियमित स्प्रेईंग एवं नरचरिंग का कार्य निष्पादित करेंगे।

(ix) भुगतान केवल उन्हीं पौधों के संदर्भ में किया जाएगा जो संतोषजनक पाए जाएंगे।

(x) गमले के पौधे समय-समय पर नए पौधों से बदले जाएंगे।

(xi) गमले का प्रत्येक पौधा निर्वाचन सदन में उसकी आपूर्ति की तारीख से **3** महीनों की अधिकतम अवधि के भीतर अवश्य रूप से उसी साइज एवं लंबाई के, जैसाकि आयोग द्वारा अपेक्षित हो और जो बाजार मानकों के अनुरूप हो, नए स्वच्छ एवं रोगमुक्त गमले के पौधे से बदल दिए जाने चाहिए। आपूरित गमले के पौधों की उपयुक्त क्वालिटी और सेहत पूरी समयावधि तक बनाए रखी जानी चाहिए।

(xii) आपूरित किए जाने वाले और निर्वाचन सदन परिसर में किसी भी समय रखे जाने वाले गमले के पौघों की प्रत्याशित संख्या **<u>600</u>** है। हालांकि, इस संख्या में + - **25**% के द्वारा या आयोग द्वारा अपनी अपेक्षाओं को देखते हुए **25**% या किसी भी सीमा तक कमी या बढ़ोतरी हो सकती है।

(xiii) निर्वाचन सदन परिसर में अपेक्षित गमले के पौधों की श्रेणीवार/टाइपवार संभावित संख्या **अनुबंध-।।** में देखी जा सकती है।

(xiv) निर्वाचन सदन परिसर में आयोग को स्वीकार्य प्रत्येक महीने रखे गए गमले के ऐसे पौधों के प्रत्येक टाइप की संख्या के आधार पर गमले के पौधे के प्रत्येक टाइप के लिए ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार मासिक किराया आधार पर भुगतान किया जाएगा।

(xv) इच्छुक बोलीदाता **अनुलग्नक-क** पर रखे गए फार्मेट में गमले के पौधों के विभिन्न प्रकार के लिए प्रति पौधा आधार पर दरें प्रस्तुत कर सकते हैं।

(II) <u>कट फ्लावरों के लिए:</u>

(i) पुष्प/स्टिक **(**पुष्पवृन्त**)** स्वच्छ एवं अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए।

(ii) पुष्प/स्टिक की केवल सोमवारों, बुधवारों और शुक्रवारों, जो कार्य-दिवस हैं, को समय रहते आपूर्ति की जाएगी। आयोग अपनी जरूरतों को देखकर इनमें बढ़ोतरी या कमी कर सकता है, और बोलीदाता को जरूरी सप्लाई की भुगतान आधार पर पूर्ति करनी होगी।

(iii) किसी भी दिन जरूरी कट फ्लावरों/स्टिक की श्रेणीवार/टाइपवार संख्या **अुनलग्नक-ख** पर देखी जा सकती है। हालांकि, यह संख्या आयोग द्वारा किसी भी समय और अपनी जरूरत के आधार पर किसी भी चुने हुए दिन/अवधि के लिए बदली जा सकती है।

(iv) सभी कट फ्लावर/स्टिक उपुयुक्त तरीके से सजाए जाएंगे और आयोग की अपेक्षा पर प्रदर्शित किए जाएंगे और उसके लिए कोई भी अतिरिक्त प्रभार देय नहीं होगा।

(v) कट फ्लावरों की आपूर्ति के लिए बोली **अनुबंध-ख** में रखे फार्मेट में प्रस्तुत की जानी है।

(III) **<u>कट-फ्लावर के लिए:</u>**

(i) परिसर में पार्कों के अनुरक्षण एवं विकास के लिए एक या अधिक कुशल माली नियमित आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा और जब भी जरूरत पड़े तो उसका पर्यवेक्षक से अनुपूरण किया जाएगा।

(ii) इस तरह उपलब्ध कराए गए माली को निर्वाचन सदन परिसर में लॉनों की लैंड-स्केपिंग, सजावट और अनुरक्षण कार्य करने में, और आयोग द्वारा कहे जाने पर विशेषीकृत फ्लोरल/पौधा सजावट करने में भी सक्षम होना चाहिए।

(iii) माली, पर्यवेक्षक, फ्लोरीकल्चरिस्ट (विशेषीकृत फ्लोरल सजावट के लिए) और लैंडस्केपिस्ट के लिए प्रति **8.00** घंटे के दिन और प्रति **4.00** घंटे के आधे-दिन की दरें **अनुलग्नक-ग** में रखे फार्मेट में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

2. यदि आप इच्छुक हैं तो आप विभिन्न सीलबंद लिफाफों में, ऐसे प्रत्येक सीलबंद लिफाफों के ऊपर बोली और बोलीदाता के नाम के साथ, भाग I, II & III के लिए अलग-अलग दरें प्रस्तुत कर सकते हैं, और बोलीदाता द्वारा यथा-प्रस्तुत ऐसे एक, दो या तीन सीलबंद लिफाफे एक साथ एक अपेक्षाकृत अधिक बड़े कॉमन सीलबंद लिफाफे, जिसके ऊपर 'निर्वाचन सदन में बागवानी सप्लाई एवं सेवाओं के लिए, अलग-अलग लिफाफे में रखी गई तकनीकी बोलियों सहित, निविदा' अंकित किया गया हो, में ऊपर उल्लिखित नियम एवं शर्तों पर **30 सितंबर, 2016 अपराह्न 3.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली उसी दिन यानि **30 सितंबर, 2016 को अपराह्न 4.00 बजे** बोलीदाताओं या बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों, जो उस समय उपस्थित रहना चाहते हों, की उपस्थिति में खोली जाएगी।

3. बोलियां प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित विवरण/सूचना भी उपलब्ध कराई जाए:

क्या आप किसी अन्य सरकारी विभाग या लोक उपक्रम में पौधे उपलब्ध करा रहे हैं और पौधों का अनुरक्षण कर रहे हैं।

यदि हां तो ऐसे विभाग/संगठन का नाम। ऐसी नर्सरी/फार्म की ठीक-ठीक लोकेशन (पता) और अन्य विवरण।

4. सभी बोलियों के साथ 20,000/- रु (बीस हजार रुपए मात्र) की बयाना राशि, जो अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के नाम में आहरित और दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत या स्टेट बैंक के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में हो, अवश्य संलग्न की जानी चाहिए। असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि निविदाओं के खोले जाने और इन्हें अंतिम रूप दिए जाने के बाद वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की बयाना राशि सप्लाई/आपूर्ति आदेश के महीने के बाद प्रतिदेय है। एक बोलीदाता 20,000/- रु की एक एकल बयाना राशि प्रस्तुत कर सकता है चाहे वह केवल एक या ऊपर उल्लिखित सभी भागों I, II & III के लिए अपनी बोली (बोलियां) प्रस्तुत कर रहा हो।

5. सफल बोलीदाता 40,000/- रु (चालीस हजार रुपए मात्र) मूल्य की बैंक गारंटी उपलब्ध कराएंगे। बैंक गारंटी "अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग" के नाम में आहरित और दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत या स्टेट बैंक के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में अवश्य होनी चाहिए। बैंक गारंटी भारत निर्वाचन आयोग के पास 12 महीनों के लिए पड़ी रहेगी और संविदाकार/विक्रेता की ओर से चूक किए जाने पर जब्त किए जाने की भागी होगी।

6. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर अवश्य हस्ताक्षर करने चाहिएं और उसे ऐसे विधिवत रूप से भरे हुए बोली-फार्मेटों **(**अनुलग्नक क, ख, ग**)** के साथ संलग्न करना चाहिए जैसे कि वे उसे निविदा के नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के रूप में ऊपर पैरा **2** में उल्लिखित अपेक्षाकृत अधिक बड़े लिफाफे में बंद करके प्रस्तुत करना चाहते हैं। यदि वे इनमें से किसी के लिए अपनी बोली प्रस्तुत नहीं कर रहे हों तो वे निविदा दस्तावेज में भाग ।, ।। और ।।। के अंशों को काट सकते हैं।

7. यदि बोलीदाता ऊपर उल्लिखित नियम एवं शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो आयोग के पास यथोपयुक्त समझी गई कटौतियां करने या जुर्माना अधिरोपित करने और बिना पूर्व सूचना के संविदा निरस्त करने का अधिकार है।

8. संविदा करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी। यह अवधि नर्सरी के संतोषजनक निष्पादन की शर्त के अधीन और एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

9. आयोग के पास संविदा की अवधि के दौरान बिना कोई कारण बताए संविदा को किसी भी समय एकपक्षीय रूप से निरस्त/समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(बी॰सी॰पात्रा)
अवर सचिव

अनुबंध-।।

(निर्वाचन सदन में गमले के पोधों की आवश्यकता)

क्रम सं.	गमले के पौधों के नाम, प्रकार तथा विवरण	निर्वाचन सदन में किसी भी समय अपेक्षित गमले के पौधे की संभावित संख्या
1.	एरोकैरिया	**40 नं.**
2.	एरिका पाम	**40 नं.**
3.	एगलोनेमा	**70 नं.**
4.	डिफेनबेकिया	**70 नं.**
5.	मनी प्लांट (बड़े आकार का)	**90 नं.**
6.	ऑक्सी – कार्डियम	**50 नं.**
7.	रेपिस	**40 नं.**
8.	जंगल पैरट (विभिन्न किस्मों के)	**50 नं.**
9.	ड्राकेना (विभिन्न किस्मों के)	**50 नं.**
10.	क्रोटोन (पेट्रा) (विभिन्न किस्मों के)	**50 नं.**
11.	विक्टोरिया (गोल्डन)	**50 नं.**
	कुल	**600 नं.**

अनुबंध- क (फार्मेट/भाग-।)

<u>निर्वाचन सदन परिसर में गमले के पौधों की आपूर्ति कराने के लिए बोली</u>

क्रम सं.	गमले के पौधों के नाम	प्रति माह प्रति गमले के पौधे का किराया दर (रू. में)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
	कोई अन्य (बोलीदाता अपनी इच्छानुसार उपलब्ध कराए जाने वाले किसी गमले के पौधे के नामों का उल्लेख कर सकते हैं)	

बोलीदाता का हस्ताक्षर, नाम
तथा विवरण

दिनांक :

तिथि :

अनुबंध- ख (फार्मेट/भाग-।।)

<u>निर्वाचन सदन में कट फ्लावर्स/स्टिक्स उपलब्ध कराने के लिए बोली</u>

क्रम सं.	कट फ्लावर/स्टिक क प्रकार का नाम तथा विवरण	प्रत्येक कट- फ्लावर/स्टिक की आपूर्ति के लिए दर (रू. में)
1.	कार्नेशन फ्लावर	
2.	जरबेरा फ्लावर	
3.	ग्लेडिओलस	
4.	रजनी गंधा स्टिक	
5.	गुलाब का फूल	
6.	लिली ओरियन्टल	
7.	एन्थुरियम	
8.	ऑर्चिड	
9.	वाटर बाउल (हुर्ली) के लिए फूल (पंखुड़ी)	
10.	कोई अन्य (बोलीदाता अपनी इच्छा से उपलब्ध कराए जाने वाले किसी अन्य प्रकार के फूल/स्टिक के नामों का उल्लेख कर सकते हैं)	

बोलीदाता का हस्ताक्षर, नाम
तथा विवरण

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध- ग (फार्मेट/भाग-।।।)

<u>निर्वाचन सदन में बागवानी कार्यों के लिए बोली</u>

क्रम सं.	सेवा कर्मियों के प्रकार	8 घंटे प्रतिदिन के लिए दर (रू. में)	4 घंटे आधे दिन के लिए दर (रू. में)	8 घंटे दिन या 4 घंटे आधे दिन से अधिक घंटे के आधार पर ओवरटाइम के लिए दर (रू. में)
1.	माली (बागवान)			
2.	पर्यवेक्षक			
3.	फ्लोरिकलचरिस्ट (विशेषीकृत फूलों की सजावटों के लिए)			
4.	लैंडस्केपिस्ट			
5.	कोई अन्य (बोलीदाता अपनी इच्छा से उपलब्ध कराए जाने वाली किसी प्रकार की सेवा सम्बन्धी व्यक्ति के नामों का उल्लेख कर सकता है)			

बोलीदाता का हस्ताक्षर, नाम
तथा विवरण

दिनांक :

स्थान :